न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री विश्राम मीना, आई.ए.एस

अपील संख्याः 113/2014 एल.आर.एक्ट GCMS No. 2012/00055

1. साहबराम पुत्र श्री रामप्रताप जाति जाट निवासी ग्राम श्योपुरा तहसील सूतरगढ़ जिला श्री गंगानगर, राजस्थान।

1/1 हेमादेवी पत्नी साहबराम
1/2 सरोज पुत्री
1/3 शकून्तला पुत्री
1/4 सुमन पुत्री
1/5 सुनीता पुत्री
1/6 महेन्द्र कुमार पुत्र

पिसरान साहब पुत्र श्रीगणपतराम जाति जाट निवासी चक 14 एसपीएम गोधूवाली ढाणी तहसील सादुल शहर जिला श्रीगंगानगर।

— अपीलान्ट्स

बनाम

1. स्टेट जरिये तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
2. कालूराम पुत्र श्री देवाराम जाति जाट निवासी गोधूवाली ढाणी तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
3. बलवीर पुत्र श्री देवाराम जाति जाट निवासी गोधूवाली ढाणी तहसील सादुलशहर जिला श्रीगांगनगर।

— रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः अभिभाषक अपीलांट — श्री धीरेन्द्र सिंह भदौरिया
अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 — राजकीय अभिभाषक
अनुपस्थित अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 3 — राजेश लदरेचा

निर्णय

दिनांक 12.09.2025

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 20.01.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– वादग्रस्त भूमि चक 4 टी.के.डब्लू के पत्थर संख्या 1/213 में मुरब्बा नंबार 61 के किला नंबर 1 ता 26 नहरी भूमि हरिसिंह पुत्र रिड़मलसिंह दिनांक 26.08.58 को आवंटन हुई। अपीलांट साहवराम पुत्र श्री गणपतराम(फौत) द्वारा उक्त आवंटित भूमि के मूल आवंटी हरिसिंह से दिनांक 12.11.1969 को खरीद की। जिला कलक्टर श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 07.07.1971 को उक्त वादगत भूमि जो हरिसिंह पुत्र रिड़मलसिह को आवटिंत थी उसको खारिज कर रकबा अराजी राज करने के आदेश प्रदान किए। भू–प्रबंध विभाग द्वारा चक 4 टी.के. डब्लू की उक्त भूमि को रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 3 के नाम गैर खातेदारी दर्ज कर दी। उक्त वादगत प्रकरण के संबंध में पैरोकार राज वास्ते राजस्थान सरकार ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्डाधिकारी सादुलशहर के समक्ष धारा 136

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्डाधिकारी सादुलशहर निर्णय करते हुए अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 3 द्वारा धारा 136 एल.आर एक्ट 1956 के अन्तर्गत अनुतोष पाने का अधिकारी नही होना माना है और उक्त वादगत भूमि के प्रकरण में धारा 136 एल.आर एक्ट के अन्तर्गत लिपिकीय त्रुटि नहीं पाया गया हैं उक्त तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्डाधिकारी सादुलशहर ने अपील को खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्डाधिकारी सादुलशहर के निर्णय दिनांक 20.01.2012 के विरूद्ध अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की।

2– विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि चक 4 टी.के.डब्लू के पत्थर संख्या 1/213 में मुरब्बा नंबार 61 के किला नंबर 1 ता 26 नहरी भूमि हरिसिंह पुत्र रिड़मलसिंह दिनांक 26.08.58 को आवंटन हुई। अपीलांट साहबराम पुत्र श्री गणपतराम(फौत) द्वारा उक्त आवंटित भूमि के मूल आवंटी हरिसिंह से दिनांक 12.11.1969 को खरीद की। कब्जा भी प्राप्त कर लिय गया और तभी से अपीलांट द्वारा बतौर काबिज काश्त लगातार है। भू–प्रबंध विभाग द्वारा चक 4 टी.के.डब्लू की उक्त भूमि को रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 3 के नाम गैर खातेदारी गलत रूप से दर्ज की गई। मूल आवंटी हरिसिंह का देहान्त दिनांक 22.05.1971 को हो गया था जबकि दिनांक 07.07.1971 को जिलाधीश श्री गंगानगर द्वारा पारित मूल आवंटन को खारिज किया जाने वाला आदेश अपने आप में शून्य है। क्योंकि जिस व्यक्ति के विरूद्ध आदेश पारित किया गया है वह व्यक्ति इस दुनिया में नही है। ऐसे में प्रकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुसार इस आदेश की पालना कतई नही हो सकती। भू–प्रबंध विभाग द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 3 को गैर–खातेदारी आवंटन अपने आप में शून्य है। भू–प्रबंध विभाग को काविज व आवंटी व्यक्ति को सुने बिना किसी अन्य व्यक्ति के नाम एन्ट्री नही कर सकता है ओर ना ही रिकॉर्ड में परिवर्तन किया जा सकता है। अपीलांट ने मूल आवंटी हरिसिंह से उक्त भूमि खरीद की और इसके आधार पर अपीलांट के नाम रिकॉर्ड में दर्ज होनी चाहिए। अपीलांट ने उक्त वादगत भूमि का विनियमित करने का आवेदन भी प्रस्तुत किया गया हैं जिस पर अतिरिकत जिलाधीश प्रशासन श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 30.12.09 को मय व्याज शुल्क 2,37,750 जमा कराया जा चुका है और शेष प्रक्रिया उक्त पत्रावली लम्बित है। अतः अपील स्वीकार की जावें। अधिनस्थ न्यायालय में समक्ष धारा 136 में जो आवेदन प्रस्तुत किया गया उसी क्रम में समुचित आदेश अपीलांट के पक्ष के पक्ष में पारित किया जावें। अन्य कोई अनुतोष जो मान्य न्यायालय उचित समझे अपीलांट को दिलवाया जावें।

3– विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया है कि वादगत भूमि जिला कलक्टर श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक एस/डीआरए/4567–68 दिनांक 07.07.1971 द्वारा हरिसिंह पुत्र रिडमलसिंह कौम राजपूत निवासी मुकन्दपुरा को आवंटित थी से खारिज कर रकबा आराजी राज किया गया। उक्त आदेश से दिनांक 07.07.1971 से विवादित रकबा सिवाय चक आराजी राज का हुआ उक्त आदेश को नोट तहसील हाजा के टीआरए खाखा के सेल रजिस्टर के खाता क्रमांक 63 पर दर्ज होकर प्रमाणित किया गया। भू–प्रबंध विभाग ने आराजी राज दर्ज न कर पहले मिशल

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

बन्दोबस्त के 2029 ता 38 में खाता संख्या 106 पर हरीसिंह वल्द रिड़मलसिंह कौम राजपूत साकिन मुकन्दपुरा के नाम अवैध दर्ज किया जबकि उक्त रकबा दिनांक 07.07.1971 को खारिज हो चुका था। दौराने भू–प्रबंध रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 3 एवं अपीलांट ने भू–प्रबंध विभाग के कार्मिको से साज बाज कर अवैध रूप से रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 3 के नाम गैर–खातेदारी आवंटन करवा ली। जबकि भू–प्रबंध विभाग को इ प्रकार दर्ज करने का कोई अधिकार नही था। इस प्रकार अवैध रूप से आंवटन से संबंधित विवादित भूमि पर अपीलांट अवैध रूप से काबिज होकर नाजायज फायदा उठा रहा है। वादगत रकबा खरिज शुदा आराजी राज सिवाय चक सरकारी भूमि होने से भू–प्रबंध द्वारा अवैध रूप से किये गये अंकन को शुद्ध करवाने का रेस्पोडेन्ट संख्या 1 भूमिधारी मुस्तहक है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावें।

4– हमने अधीनस्थ न्यायालय का उपलब्ध अभिलेख तथा उभय पक्ष की बहस का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.01.2012 पारित करते हुए बताया कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत किसी लिपिकीय भूल या त्रुटि को दुरूस्त करने का अधिकार दिया गया है। उक्त लिपिकीय भूल या त्रुटि का नहीं है। अपीलांट द्वारा उक्त प्रकरण में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 136 के अन्तर्गत अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। उपरोक्त विवेचन से यह प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर के आदेश दिनांक 20.01.2012 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है जो न्यायोचित है। अतः हम उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर के आदेश दिनांक 20.01.2012 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते। अतः उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर के आदेश दिनांक 20.01.2012 को यथावत रखते हुए अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जाती हैं।

5– तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावें। निर्णय आज दिनांक 12.09.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर